भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *263
07 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना

***263. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिले एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य के प्रत्येक जिले द्वारा इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए रोजगार की कितनी संभावना है;

(घ) उत्तर प्रदेश के लालगंज और आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ओडीओपी के रूप में चिन्हित और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत अनुमोदित कृषि उत्पादों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और उन्नयन हेतु युवाओं को प्रदान की जा रही वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता का स्वरूप क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु "उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *263 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) उत्तर प्रदेश सहित देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना "प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई)" को कार्यान्वित कर रहा है।

यह योजना मुख्यतः एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है। ओडीओपी की पहचान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, सूक्ष्म-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की उपस्थिति, ओडीओपी के प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों/एफपीओ/सहकारी समिति/सूक्ष्म उद्यमों, उत्पाद के शीघ्र खराब होने की संभावना आदि के आधार पर की जाती है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए **अनुबंध-I** में दिए गए विवरण के अनुसार ओडीओपी को मंजूरी दी गई है ।

(ग): उत्तर प्रदेश राज्य में 30 जून 2025 तक पीएमएफएमई योजना के तहत 53,454 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं।

(घ): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लालगंज सहित आजमगढ़ जिले के लिए तुलसी आधारित उत्पादों की ओडीओपी के रूप में पहचान की गई है।

(ङ): पीएमएफएमई योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और उन्नयन के लिए युवाओं सहित पात्र संगठनों को उपलब्ध सहायता का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु "उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *263 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ओडीओपी की जिलावार सूची

क्रम सं.	ज़िला	ओडीओपी
1.	आगरा	पेठा
2.	अलीगढ़	दूध आधारित उत्पाद
3.	अंबेडकर नगर	मिर्च आधारित उत्पाद
4.	अमेठी	आंवला आधारित उत्पाद
5.	अमरोहा	आम आधारित उत्पाद
6.	औरैया	दूध आधारित उत्पाद (घी)
7.	अयोध्या	गुड़
8.	आजमगढ़	तुलसी आधारित उत्पाद
9.	बागपत	गुड़
10.	बहराइच	केले आधारित उत्पाद
11।	बलिया	मसूर आधारित उत्पाद
12.	बाँदा	तिलहन आधारित उत्पाद
13.	बलरामपुर	मकई उत्पाद
14.	बाराबंकी	पुदीना आधारित उत्पाद
15.	बरेली	दूध आधारित उत्पाद
16.	बस्ती	काला नमक चावल
17.	भदोही	प्याज आधारित उत्पाद
18.	बिजनौर	गुड़
19.	बदांयु	अमरूद आधारित उत्पाद
20.	बुलंदशहर	दूध आधारित उत्पाद
21.	चंदौली	टमाटर आधारित उत्पाद
22.	चित्रकूट	तिलहन आधारित उत्पाद
23.	देवरिया	मिर्च आधारित उत्पाद
24.	एटा	कासनी
25.	इटावा	सरसों आधारित उत्पाद
26.	फर्रुखाबाद	आलू आधारित उत्पाद
27.	फतेहपुर	आंवला आधारित उत्पाद
28.	फिरोजाबाद	आलू आधारित उत्पाद
29.	गोरखपुर	काला नमक चावल
30.	जी.बी. नगर	बेकरी उत्पाद
31.	गाजियाबाद	बेकरी उत्पाद
32.	गाजीपुर	प्याज आधारित उत्पाद
33.	गोंडा	केले आधारित उत्पाद
34.	हमीरपुर	मछली आधारित उत्पाद
35.	हापुड़	पेठा
36.	हरदोई	मूंगफली उत्पाद
37.	हाथरस	हींग

38.	जालौन	मटर आधारित उत्पाद
39.	जौनपुर	दूध आधारित उत्पाद
40.	झांसी	तुलसी आधारित उत्पाद
41.	कन्नौज	आलू आधारित उत्पाद
42.	कानपुर देहात	दूध उत्पाद
43.	कानपुर नगर	बेकरी उत्पाद
44.	कासगंज	घी
45.	कौशाम्बी	अमरूद आधारित उत्पाद
46.	कुशीनगर	केले आधारित उत्पाद
47.	लखीमपुर खीरी	केले आधारित उत्पाद
48.	ललितपुर	हल्दी
49.	लखनऊ	आम आधारित उत्पाद
50.	महाराजगंज	काला नमक चावल
51.	महोबा	तिलहन आधारित उत्पाद
52.	मैनपुरी	लहसुन आधारित उत्पाद
53.	मथुरा	दूध उत्पाद (पेड़ा)
54.	मऊ	आम आधारित उत्पाद
55.	मेरठ	गुड़
56.	मिर्जापुर	टमाटर आधारित उत्पाद
57.	मुरादाबाद	शहद
58.	मुजफ्फरनगर	गुड़
59.	पीलीभीत	गुड़
60.	प्रतापगढ़	आंवला आधारित उत्पाद
61.	प्रयागराज	अमरूद आधारित उत्पाद
62.	रायबरेली	आंवला आधारित उत्पाद
63.	रामपुर	पुदीना आधारित उत्पाद
64.	सहारनपुर	शहद
65.	संभल	पुदीना आधारित उत्पाद
66.	संत कबीर नगर	काला नमक चावल
67.	शाहजहांपुर	गुड़
68.	शामली	गुड़
69.	श्रावस्ती	केले आधारित उत्पाद
70.	सिद्धार्थ नगर	काला नमक चावल
71.	सीतापुर	आम आधारित उत्पाद
72.	सोनभद्र	टमाटर आधारित उत्पाद
73.	सुल्तानपुर	पुदीना आधारित उत्पाद
74.	उन्नाव	आम आधारित उत्पाद
75.	वाराणसी	मिर्च आधारित उत्पाद
कुल		**75**

*****

अनुबंध- II

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु "उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *263 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम सीमा रु. 10 लाख प्रति यूनिट;

(ii) *प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य के लिए 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *साझा अवसंरचना हेतु सहायता:* साझा अवसंरचना स्थापित करने हेतु एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सहायता प्रदान करने हेतु 35% की दर से ऋण-आधारित पूंजीगत सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। साझा अवसंरचना अन्य इकाइयों और जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से का किराये के आधार पर उपयोग कर सकें।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

****